काम जो इस की तामील में जारी हुए

राजस्व वाद संख्या 06/2017

1– श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री जय कुमार जी अजमेरा जाति जैन
2– श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री जय कुमार जी अजमेरा जाति जैन
3– श्री सुनील कुमार पुत्र श्री जय कुमार जी अजमेरा जाति जैन
तीनों जाति जैन एवं निवासीगण कृषि मण्डी रोड़, बिजयनगर, तहसील बिजयनगर

————वादीगण

ब ना म

1– श्री राजेन्द्रसिंह संचेती पुत्र श्री मनोहरसिंह संचेती जाति संचेती निवासी स्टेशन रोड़ गुलाबपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
2– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिजयनगर
3– श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी महोदय, नगर पालिका बिजयनगर

———प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी जो वाद पत्र संख्या 06/2017 अंतर्गत धारा 251 ए एवं धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर प्रस्तुत हुआ।

आदेश दिनांक 23.11.2017

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत हुआ। वादी संख्या 2 श्री प्रकाशचन्द जी की और से श्री सलीम मौहम्मद एडवोकेट ने आपत्ति जाहिर करते हुये निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी की नकल नही दी गई जबकि वादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने निवेदन किया मेरे द्धारा नकल का प्रार्थना प्रस्तुत कर नकल ली गई है, इसलिये नकल दिलवाई जावे और उसके बाद जवाब हेतू तारीख पेशी दी जावे। जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने विरोध किया तथा प्रार्थना पत्र की नकल उनके पूर्व अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश जी कलवार को दिनांक 9.11.2017 को दी जा चुकी है, इसलिये नये अधिवक्ता को नकल नही दी जा सकती है। आपत्ति पर उभयपक्षान को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया इस न्यायालय में वादी संख्या 2 प्रकाशचन्द जी की और से सलीम मौहम्मद एडवोकेट ने अपना वकालतनामा दिनांक 10.11.2017 को प्रस्तुत किया जाना पाया गया। जबकि इस न्यायालय द्धारा जो अधिवक्ता श्री सलीम मौहम्मद द्धारा नकल प्राप्त की गई है, वह वादी संख्या 2 प्रकाशचन्द के मौखिक निवेदन पर नकल अधिवक्ता श्री सलीम मौहम्मद को दी गई जिससे नए अधिवक्ता की जानकारी में उक्त प्रार्थना पत्र भी आ चुका है एवं नकल भी प्राप्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादी संख्या 2 की आपत्ति अस्वीकार कि जाती है। बावजूद इसके न्यायहित में नकल दिलाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत कर सांराक्षतः निवेदन किया है, कि वादीगण उक्त वाद खसरा नंबर 959 के लेआउट प्लान जिसमें मार्ग 30 फीट में तथाकथित दर्शित मार्ग रास्ता बाबत व धारा 90 बी राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के आवेदन को वापस लेने तथा आवेदन वापसी पर तहसीलदार द्धारा कार्यवाही नही करने बाबत प्रस्तुत किया है, जो इस माननीय न्यायालय को सुनवाई श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नही होकर विधि द्धारा वर्जित है। और सुनवाई का अधिकार नही होकर संबंधित सिविल न्यायालय को है। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 ने भी इस न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नही होने का कथन करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारीज किया जावे।

वादीगण संख्या 1 व 3 ने उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो का नकारते हुये जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि खसरा नंबर 960 की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमियो में रास्ता प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है । तथा

.....लगातार

इस न्यायालय को उक्त प्रकरण सुनने का पूर्णरूपेण अधिकार है। तथा वर्तमान जमाबंदी में उसकी किस्म परिवर्तन नही हुई है इसलिये इसे आबादी भूमि नही माना जा सकता है। तथा लेआउट प्लॉन पर सक्षम अधिकारीयो के भी हस्ताक्षर है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने अपनी खातेदारी की भूमियो में विद्युत कनेक्शन भी विद्युत कनेक्शन दिया गया है। तथा उक्त रास्ते में विद्युत पोल गाडे हुये है। इसलिये माननीय न्यायालय को रास्ते के विषय मे धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होते हुये प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

वकील वादी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत किये जाने का निवेदन किया किन्तु वादीगण ने सम्मिलित हस्ताक्षरयुक्त मूल वाद इस न्यायालय में धारा 251 ए प्रस्तुत किया गया है, इसलिये वादी संख्या 1 व 3 की और से विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके अलावा भी वादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने नकलें प्राप्त कर लिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये वादी संख्या 2 को जवाब की अनुमति दिया जाना न्याय संगत नही पाया जाता है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्रो पर बहस सुनी । प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये इस प्रकरण को सुनावाई का क्षैत्राधिकार नही होने के कारण से वाद खारीज किया जावे। वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रतिवादीगण द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना को खारीज करने निवेदन किया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने वाद पत्र में धारा 251 ए एवं धारा 188 राज0 काश्त0 अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 959 में प्रतिवादी संख्या 1 द्धारा 90 बी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के आवेदन के साथ प्रस्तुत लेआउट प्लॉन में वर्णित रास्ते 30 फीट को यथावत रखा जावे। जबकि उक्त खसरा नंबर 959 प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज होना अंकित पाया गया। तथा वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर व अधिशाषी अभियंता नगरपालिका विजयनगर द्धारा लेआउट प्लॉन पास किया जाना पाया गया जिसकी प्रति अभिलेख पर है, जिसके देखने मात्र से ही ले आउट प्लान स्वीकृत होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि किसी भी प्रकार से अब कृषि भूमि नही मानी जा सकती है। जबकि वादीगण ने भी अपने अनुतोष उक्त लेआउट प्लॉन में वर्णित रास्ते को यथावत रखने का निवेदन किया है, जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होना पाया जाता है एवं उक्त लेआउट प्लॉन में वर्णित रास्ते को यथावत रखने का अधिकार क्षैत्र सिविल न्यायालय को है। वादीगण ने अपने वाद पत्र धारा 251 ए राज0काश्त0अधि0 में जो कथन किये गये है, वह धारा 251 ए राज0काश्त0.अधि0 के परव्यू में भी नही आना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रतिवादीगण द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रतिवादीगण द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद क्षैत्राधिकार विहिन होने के कारण से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 23.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 12:44:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: